




राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)



एफ.4 () / एसबीएम-जी / लेखा/आंवटन / 2014-15 / 602

जयपुर, दिनांक 20.4.15

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-3 / 2015-16

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) योजनान्तर्गत, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी केन्द्रीयअंश एवं उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यांश की राशि संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार सम्बन्धित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण करने की एतद्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग योजना के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित वर्ग हेतु ही किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

बजट मद	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	कुल
<b>मांग संख्या - 41</b> 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (24) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] - कार्यकलाप / गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना -	8343.76	2781.25	11125.01
<b>मांग संख्या 30</b> 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (26) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] - कार्यकलाप / गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना -	1672.89	557.63	2230.52
<b>मांग संख्या 51</b> 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों / जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (27) - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान [02] - कार्यकलाप / गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना -	3428.05	1142.68	4570.73
<b>कुल योग</b>	<b>13444.70</b>	<b>4481.56</b>	<b>17926.26</b>

(अक्षरों रूपये एक सौ उन्नासी करोड़ छब्बीस लाख छब्बीस हजार मात्र)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-V) विभाग की आई.डी. संख्या 331500246 दिनांक 10.04.2015 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त राशि सम्बन्धित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण करने के राज्यादेश शीघ्र जारी करने का श्रम करावें।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज0 जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राज0 जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, (मुख्यालय)।
7. कोषाधिकारी सम्बन्धित जिला।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बन्धित को भेजकर लेख है कि कोष कार्यालय से इस राशि को जिला परिषद के खातों में आहरित कर जिला जल स्वच्छता मिशन के बचत खातों में हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही करावें।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत।
10. आयोजना शाखा/रक्षित पत्रावली।

निर्देशक

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सी.सी.डी.यू. (स्वच्छता), पंचायती राज विभाग, राजस्थान फोन- 0141 2227802 ईमेल:tsrajasthan1@gmail.com

